एम/एस आनंद सामाजिक और शैक्षिक ट्रस्ट

बनाम

आयकर आयुक्त एवं एएनआर

(2012 की सिविल अपील संख्या 5437-5438) 19 फरवरी, 2020

[एस ए बोबडे, सी जेआई, बी आर गवई और सूर्यकांत, जे.जे.]

आयकर अधिनियम 1961: धारा 12 ए ए के तहत एक नए पंजीकृत ट्रस्ट का पंजीकरण - पात्रता - धारित एक नया पंजी कृत ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के आधार पर धारा 12 ए ए के तहत पंजीकरण का हकदार है, बिना किसी गतिविधि के अधिनियम का 12AA किसी ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को संस्था की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने और उस संबंध में पूछताछ करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को मांगने का अधिकार देता है। यह आयोग को उस ट्रस्ट को पंजीकृत करने का अधिकार देता है यदि वह किसी संस्था के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों की वास्तविकता से संतुष्ट है - धारा 12 अधिनियम का उद्देश्य केवल ऐसे ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण को सक्षम करना है जिनकी गतिविधियाँ वास्तविक हैं - चूंकि धारा 12AA किसी ट्रस्ट के पंजीकरण से संबंधित है, न कि यह आकलन करने से कि ट्रस्ट ने वास्तव में क्या किया है, 'सक्रियता प्रावधान' शब्द में 'प्रस्तावित गतिविधियाँ ' शामिल हैं - कहने का मतलब है, एक आयोग इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रस्ट की वस्तुएँ वास्तव में धर्मार्थ हैं और क्या ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां इस अर्थ में वास्तविक हैं कि वे ट्रस्ट कंट्रास्ट की वस्तुओं के अनुरूप हैं, स्थिति अलग होगी जहां आयुक्त अधिनियम की उप-धारा (3) के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द कर देते हैं। उस स्थिति में, आयुक्त अधिनियम की धारा 12AA की यह रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य होगा कि ट्रस्ट द्वारा वास्तव में की गई कोई गतिविधि या गतिविधियां वास्तव में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं , इसी तरह स्थिति अलग होगी जहां ट्रस्ट ने पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियां की हैं।

आयकर अधिनियम, 1961: धारा 12 ए ए - धारित - उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियाँ इसके विपरीत नहीं हैं

721 सुप्रीम कोर्ट रिपो र्ट [2020] 1 एस.सी.आर.

उद्देश्य और यदि गतिविधियाँ ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत पाई जाती हैं तो आयुक्त पंजीकरण से इंकार करने का हकदार है।

स्व-नियोक्ता सेवा सोसायटी बनाम आयुक्त आयकर (2001) खंड 247 आई टी आर 18- संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5437-2012 का 5438.

[उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनां क 08.04.2015 से 2015 की आयकर अपील संख्या 98 में नई दिल्ली]

साथ

2014 की सिविल अपील संख्या 4702 और 2020 की 1727.

प्रीतेश कपूर, एमएस ऐश्वर्या भाटी, सीनियर सलाहकार, सेंथिल जगदीसन, सुश्री सोनाक्षी मल्हान, कु. सुरीति चौधरी , कु. मृणाल कंवर, सत्यलिप्स राय, विकास बंसल, श्रीमती अनिल कटियार, सलाहकार उपस्थित पक्ष के लिए.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

<u>आदेश</u>

सिविल अपील संख्या (एस). 5437-5438/2012

हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और अवलोकन किया है कर्ण उच्च न्यायालय द्वारा पारित क्षेपित निर्णय और आदेश हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में बताए गए कारणों को कानून के अनुरूप होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है

सिविल अपील क्रमांक 4702/2014

यह अपील अपीलकर्ता आयकर निदेशक द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि एक नया पंजीकृत ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 12 ए ए के तहत पंजीकरण का हकदार है।) वस्तुओं के आधार पर, बिना कोई गतिविधि किए। धारा 12 ए ए इस प्रकार है: आनंद सामाजिक और शैक्षिक ट्रस्ट बनाम द आयकर आयुक्त एवं एएनआर।

"12 एए. पंजीकरण की प्रक्रिया । - (1) [आयुक्त के प्रधान आयुक्त, उप-(ए) या खंड (एए) या उप-(1) धारा 12 ए के, - (ए) ट्रस्ट या संस्थान से ऐसे दस्तावेज़ या जानकारी मांगेगा जैसा कि वह ट्रस्ट या संस्थान की गतिविधियों की वास्तविकता से खुद को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझता है और पूछताछ भी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे इस ओर , और (बी) ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्यों और वास्तविक गतिविधियों के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद, वह- (i) ट्रस्ट या संस्था को पंजीकृत करने के लिए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा ; (ii) यदि वह ऐसा नहीं है तो ऐसा करेगा संतुष्ट होने पर, ट्रस्ट या संस्था को पंजीकृत करने के लिए लिखित रूप में एक आदेश पारित करें, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक के पास होगी : बशर्ते कि उप-खंड (ii) के तहत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को उचित अवसर नहीं दिया गया हो । (1 ए) [प्रधान मुख्य आय ग, मुख्य आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन पर 1 जून, 1999 से पहले खंड उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं कि या गया है, उस दिन [मुख्य आयुक्त] को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। आयुक्त या] आयुक्त और [मुख्य आयुक्त या] आयुक्त ऐसे आवेदनों पर आगे बढ़ सकते हैं वह उपधारा उस मंच से जिस पर वे उस दिन थे। (2) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पंजीकरण देने या अस्वीकार करने वाला प्रत्येक आदेश उस महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति से पहले पारित किया जाएगा जिसमें आवेदन खंड (ए) के तहत प्राप्त हुआ था , या उपधारा (एए) या उपखंड (एबी) धारा 12 ए। (3) जहां किसी ट्रस्ट या संस्था को उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है या धारा 12 ए के तहत किसी भी समय पंजीकरण प्राप्त किया है [जैसा कि यह वित्त (नंबर 2) द्वारा इसके संशोधन से पहले था) अधिनियम, 1996 (1996 का 33)] और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 1 एस.सी.आर.

[प्रधान आयुक्त या] आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या ट्रस्ट या संस्थान के उद्देश्यों के अनुसार नहीं की जा रही हैं, जैसा भी मामला हो , रद्द करने का लिखित आदेश पारित करेगा । ऐसे ट्रस्ट या संस्था का पंजीकरण: बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे ट्रस्ट या संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो ।

[(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , जहां किसी ट्रस्ट या संस्था को उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है या किसी भी समय पंजीकरण प्राप्त किया है धारा 12 ए के तहत [जैसा कि यह वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा इसके संशोधन से पहले था] और बाद में यह देखा गया कि ट्रस्ट या संस्था की गतिविधियां इस तरीके से की जा रही हैं कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13 की उप-धारा (1) के संचालन के कारण ऐसे ट्रस्ट या संस्था की आय के पूरे या किसी हिस्से को बाहर करने के लिए लागू नहीं होते हैं, फिर, प्रधान आयुक्त या आयुक्त एक आदेश द्वारा कर सकते हैं लिखित रूप में ऐसे ट्रस्ट या संस्था का पंजीकरण रद्द करें।

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया जाएगा , यदि ट्रस्ट या संस्था यह साबित कर देती है कि उक्त तरीके से की जाने वाली गतिविधियों के लिए उचित कारण था ।

उपरोक्त अनुभाग एक ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन किया जा सकता है जो कुछ समय से अस्तित्व में है एक नए पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ट्रस्ट होना चाहिए पहले से ही अस्तित्व में है और इससे पहले कोई गतिविधि शुरू करनी चाहिए थी पंजीकरण के लिए आवेदन करना ।

संक्षेप में, अधिनियम की धारा 12AA किसी ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को ऐसे दस्तावेज मांगने का अधिकार देती है जो ट्रस्ट की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं या संस्था बनाना और उस संबंध में पूछताछ करना ; यह आयुक्त को ट्रस्ट को

पंजी कृत करने का अधिकार देता है यदि वह ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों की वास्तविकता से संतुष्ट है।

वर्तमान मामले में, ट्रस्ट का गठन 30.05.2008 को एक सोसायटी के रूप में किया गया था और इसने 10.07.2008 को यानी लगभग दो महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। एम/एस आनंद सोशल एंजुकेशनल ट्रस्ट बनाम द आयकर एवं ए.एन.आर।

आवेदन देने से पहले प्रतिवादी ट्रस्ट द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई थी । आयुक्त ने आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि ट्रस्ट द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई है, इसलिए इसे पंजीकृत करना संभव नहीं है, संभवतः क्यों कि इस बात से संतुष्ट होना संभव नहीं है कि ट्रस्ट की गतिविधियां वास्तविक हैं या नहीं । आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली (संक्षेप में, न्यायाधिकरण') ने आयुक्त के आदेशों को उलट दिया । राजस्व विभाग ने अपील दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नए पंजीकृत ट्रस्ट के मामले में भले ही कोई गतिविधि नहीं थी , यह विचार करना संभव था कि क्या ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। इस फैसले पर हमारे सामने हमला किया गया है।

धारा 12 एए में निस्संदेह आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो और यदि वह इतना संतुष्ट हो तो ही पंजीकरण प्रदान करे। उक्त धारा में आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है कि ट्रस्ट का उद्देश्य और उसकी गतिविधियाँ धर्मार्थ हैं क्यों कि ऐसे पंजीकरण का परिणाम यह है कि ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत लाभ का दावा करने का हकदार है। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्ट के उद्देश्य और उसकी गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं, यानी धर्मार्थ नहीं हैं तो आयुक्त इनकार करने का हकदार है और वास्तव में, ऐसे पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है।

हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि आयुक्त को दो चीजों के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है- पहला कि ट्रस्ट के उद्देश्यऔर दूसरा, इसकी गतिविधियाँ वास्तविक हैं, यदि ट्रस्ट द्वारा कोई गतिविधियाँ नहीं की गई हैं तो आयुक्त यह आकलन नहीं कर सकता कि ऐसी गतिविधियाँ वास्तविक हैं या नहीं और इसलिए, आयुक्त ऐसे ट्रस्ट के पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है।

हमने अपीलकर्ता आयकर निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री ऐश्वर्या भाटी द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों पर उत्सुकता पूर्वक विचार किया है और पाया है कि इससे सहमत होना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 12AA का उद्देश्य केवल ऐसे ट्रस्ट या संस्थान के पंजीकरण को सक्षम करना है जिनके उद्देश्य और गतिविधियाँ वास्तविक हैं। दूसरे शब्दों में, आयुक्त स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि ट्रस्ट के उद्देश्य वास्तविक हैं और इसकी गतिविधियाँ ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में हैं। वह भी उतना ही वास्तविक है।

चूंकि धारा 12 एए ट्रस्ट के पंजीकरण से संबंधित है, न कि यह आकलन करने के लिए कि ट्रस्ट ने वास्तव में क्या किया है, हमारा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 1 एस.सी .आर.

प्रावधान में 'गतिविधियाँ' या शब्द में 'प्रस्तावित गतिविधियाँ ' शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि , एक आयुक्त इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रस्ट के उद्देश्य वास्तव में प्रकृति में धर्मार्थ हैं और क्या ट्रस्ट ने जिन गति विधियों को चलाने का प्रस्ताव रखा है, वे इस अर्थ में वास्तविक हैं कि वे ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। इसके विपरीत, स्थिति अलग होगी जहां आयुक्त अधिनियम की धारा 12AA की उप-धारा (3) के तहत एक ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव करता है। वहां आयुक्त इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए बाध्य होंगे कि ट्रस्ट द्वारा वास्तव में की गई कोई गतिविधिया ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होने के कारण वास्तविक नहीं हैं। इसी तरह, स्थिति अलग होगी जहां ट्रस्ट ने पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियां कीं ।

इसलिए हम पाते हैं कि आक्षेपित फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

अपीलकर्ता की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री भाटी ने हमारा ध्यान 2013 की आईटी अपील संख्या 36 में "आयकर आयुक्त-द्वितीय बनाम आर.एस. बजाज सोसायटी " शीर्षक वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित

किया , जिसने वही दृष्टि कोण जो आक्षेपित निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय का था । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए समान दृष्टिकोण का उल्लेख किया है।

जाहिर तौर पर, स्व-नियोक्ता सेवा सोसायटी बनाम आयकर आयुक्त - (2001) खंड 247 आईटी आर 18 के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है। हालांकि यह दृष्टिकोण स्वयं की सराहना नहीं करता है। हालाँकि , स्व-नियोक्ता सेवा सोसायटी (सुप्रा) के तथ्यों से पता चलता है कि आयकर आयुक्त ने पाया था कि ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक ने ऐसी गतिविधियाँ की थीं जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत थीं ।

परिणाम में, हम पाते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

सिविल अपील संख्या 1727/2020 (@SLP(C) संख्या 25761/2015)

छुट्टी दी गई.

इस मामले में, जिस ट्रस्ट ने धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपनी आय का कोई भी भाग व्यय नहीं किया जाना पाया गया । इसलिए, आयकर आयुक्त ने ट्रस्ट का पंजीकरण इनकार कर दिया। एम/एस आनंद सोशल एंजुकेशनल ट्रस्ट बनाम द आयकर आयुक्त एवं एएनआर।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयुक्त के फैसले को पलट दिया आयकर मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ऊपर उल्लिखित.

पहले बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि का उद्देश्य विचाराधीन प्रावधान यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ इसके उद्देश्यों के विपरीत नहीं हैं और यदि गतिविधियाँ ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत पाई जाती हैं तो आयुक्त पंजीकरण से इनकार करने का हकदार है।

वर्तमान मामले में, जो पाया गया है वह यह है कि ट्रस्ट ने अपनी आय का कोई भी हिस्सा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया है। यह ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा न करने और उसके उद्देश्य के विपरीत गतिविधियां न करने का मामला है। ये परिस्थितियाँ कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें गतिविधियाँ चलाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ न मिलना भी शामिल है। निस्संदेह धर्मार्थ प्रयोजनों को पूरा करने में निष्क्रियता भी अन्य परिस्थितियों के आधार पर कार्यवाही योग्य हो सकती है; लेकिन हमें यहां ऐसे किसी मामले से कोई सरोकार नहीं है।

इन परिस्थितियों में, हम इसे आयकर आयुक्त पर छोड़ते हैं कि वे धारा 12 एए की उप-धारा (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस मुद्दे पर विचार करें, यदि तथ्य ऐसी कार्यवाहियों को उचित ठहराते हैं।

हलांकि अपील खारिज कर दी गई है।

देविका गुजराल की अपील खारिज.

हिन्दी अनुवाद की यर्थाथता का भली–भांति निरीक्षण करके व यथावश्यक संशोधन कर हिंदी अनुवाद किया गया।

द्वारा

(सिद्धान्त यादव)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
वाह्य न्यायालय,बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ०कोड–यू.पी.3495